



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234753
CG-DL-E-01042022-234753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1491]
No. 1491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ.1552 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.12.2021 की अधिसूचना का.आ.5448(अ) के तहत संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30.12.2021 से छः माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और यतः संपूर्ण नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब दिनांक 30.12.2021 की अधिसूचना का.आ.5448(अ) के अधिक्रमण में, नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुनहेबोटो जिलों और i) कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा-उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने; ii) मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने; iii) लांगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना; और iv) वोखा जिले में भंडारी, चामपांग, रालान और सुंगरो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से छः माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं.7/10/2003-एन.ई.-I]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1552(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared whole of the state of Nagaland as ‘disturbed area’ for a period of six months with effect from 30.12.2021 vide Notification S.O.5448(E) dated 30.12.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Nagaland has been undertaken.

Now, therefore, in supersession of the Notification S.O. 5448(E) dated 30.12.2021, Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek, Peren and Zunheboto districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of i) Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha police stations in Kohima District; ii) Mangkolemba, Mokokchung-I, Longtho, Tuli, Longchem and Anaki ‘C’ police stations in Mokokchung District; iii) Yanglok police station in Longleng District; and iv) Bhandari, Champang, Ralan and Sungro police stations in Wokha District, are declared as ‘disturbed area’ under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.04.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No.7/10/2003-NE.I]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.